# **DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**

#### **BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Monday 3<sup>rd</sup> August 2009/ 12 Sravana 1931 (Saka)

No. 41

### Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Parliament Street, New Delhi

"I have the honour to inform you that Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ramesh Bidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Parliament Street at 1315 Hrs. on 3.08.2009

They were released at 1330 Hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao Secretary

# दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमदार 3 अगस्त 2009/ श्रादण 12, 1931 (शक)

संख्या-41

## विषयः सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, **थाना अध्यक्ष, संसद मार्ग, नई** दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य प्रो0 विजय कुमार मलहोत्रा व श्री रमेश विधुडी को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत दिनांक 03.08.2009 को अपराहन् 1315 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से अपराहन् 1330 बजे रिहा कर दिया गया ।"

**सिद्धार्थ राव** सचिव